

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक:एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 1351

दिनांक: 23.2.2021

जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) (पंचायत),
अजमेर, बांसवाडा, बाडमेर, भीलवाडा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़,
चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड, झुंझुनू,
नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक एवं उदयपुर।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त पदों पर उप चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम एवं दिशा-निर्देश।

महोदय,

पंचायतीराज संस्थाओं में रिक्त हुए पदों पर आयोग द्वारा उप चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया है। रिक्त पदों की सूची पत्र के साथ संलग्न है। उप चुनाव से पूर्व संबंधित वार्डों/निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18 एवं राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के अध्याय-3 के नियम 11 से 22 के अनुसार करवाया जाना है। उक्त प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की वार्ड/निर्वाचन क्षेत्रवार मतदाता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 119 (5) के अंतर्गत निर्वाचक नामावली जिला निर्वाचन अधिकारी के नियंत्रण के अधधीन रहते हुए, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी के द्वारा तैयार, पुनरीक्षित, उपान्तरित, आदिनाकित और प्रकाशित की जाएगी।

राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 11 एवं 19(1) के अन्तर्गत आयोग द्वारा आगामी उप चुनावों हेतु मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में करवाया जाएगा। इस हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01.01.2021 के संदर्भ में तैयार की गई विधानसभा की मतदाता सूची, जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.01.2021 को किया गया है, के अद्यतन डेटाबेस के आधार पर तैयार कराकर उनका भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से सत्यापित निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन कर आगे की कार्यवाही संपादित की जाएगी।

ग्राम पंचायत के वार्डवार तैयार की गई मतदाता सूची के आधार पर पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियाँ तैयार की जायेंगी। इसका तात्पर्य यह है कि पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत के जो वार्ड आते हैं, उन सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची को संकलित कर संबंधित निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची तैयार मान ली जावेगी। अतः पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए पृथक से मतदाता सूचियों की तैयारी की आवश्यकता नहीं है। हालांकि उक्त मतदाता सूचियों का प्रकाशन पृथक-पृथक किया जाना है।

विधानसभा की मतदाता सूची के डेटाबेस के आधार पर पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

1. आयोग स्तर पर नियुक्त स्टेट लेवल एजेन्सी (SLA) राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (रील) द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर (e-suchi) के माध्यम से विधानसभा की अद्यतन मतदाता सूचियों के डेटाबेस को ग्राम पंचायत के वार्डों के रूप में विभाजित किया जाएगा। इस विभाजन की प्रक्रिया के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के स्तर से कुछ सूचनाओं की आवश्यकता होगी। उक्त सूचनाएं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी प्रगणकों के माध्यम से प्रपत्र ए-1 तैयार करवाएंगे।
2. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखे कि पंचायत चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के संदर्भ में तैयार विधानसभा की निर्वाचक नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन दिनांक 18.01.2021 को किया गया है, का उपयोग किया जाए।

20.2.21

- | क्र. सं. | कार्य का विवरण | दिनांक |
|----------|--|------------|
| 1. | प्रपत्र ए-1 को तैयार करने की अंतिम तिथि | 03.03.2021 |
| 2. | प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर अपलोड करने की अंतिम तिथि | 07.03.2021 |
| 3. | प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर Process करने की अंतिम तिथि | 08.03.2021 |
| 4. | चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि | 09.03.2021 |
| 5. | चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि | 12.03.2021 |
| 6. | संशोधित प्रपत्र-1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि
(यदि आवश्यक हुआ तो) | 14.03.2021 |
| 7. | संशोधित प्रपत्र-1 को Process करने की अंतिम तिथि | |
| 8. | प्रपत्र ए-1 को Freez करने की अंतिम तिथि | |
| 9. | प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि | 15.03.2021 |

7. प्रगणकों से प्रपत्र ए-1 तैयार करवाकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी स्वयं की देख-रेख में ई-सूची (URL <https://www.esuchi.rajasthan.gov.in>) पर Excel Sheet (.CSV format) में अपलोड करवाएंगें। उक्त लिंक पर सूचनाओं का अपलोड करने के लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को आवंटित यूजरनेम (Username) एवं पासवर्ड (Password) का उपयोग किया जाएगा।
8. उक्त सूचनाओं के अपलोड करने के पश्चात् पंचायत की वार्डवार फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची तैयार हो जाएगी। उक्तानुसार तैयार मतदाता सूची (Check List) का प्रिंट लेकर संबंधित प्रगणकों द्वारा मौके पर जाकर प्रारूप मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं का भौतिक सत्यापन किया जाएगा एवं यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची वार्ड के परिसीमन के अनुसार ही है। यदि भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया जाता है कि विधानसभा की मतदाता सूची में अंकित किसी मतदाता का नाम पंचायत के संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में नहीं है अथवा किसी अन्य वार्ड के मतदाताओं का नाम सम्मिलित हो गया है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके द्वारा तैयार किया गया प्रपत्र ए-1 त्रुटिपूर्ण है। अतः ऐसी त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए संबंधित वार्ड के लिए संशोधित प्रपत्र ए-1 तैयार कर पुनः ई-सूची (e-suchi) पर सूचना निर्धारित तिथि तक अपलोड कर संशोधित प्रारूप मतदाता सूची समय पर तैयार कर लें।

Zi. 94

B. उप चुनाव हेतु मतदाता सूचियों के प्रारूप प्रकाशन एवं इसके बाद की तिथियां निम्नानुसार रहेगी:-

— :: निर्वाचक नामावली हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम :: —

क्र.सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	17.03.2021 (बुधवार) को
2.	निर्वाचक नामावलियों का वार्डों/मतदान केन्द्रों पर पठन	20.03.2021 को
3.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	26.03.2021 (शुक्रवार) को
4.	विशेष अभियान की तिथियाँ	20.03.2021 एवं 21.03.2021 को
5.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	05.04.2021 (सोमवार) तक
6.	पूरक सूचियों की तैयारी	16.04.2021 (शुक्रवार) तक
7.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	19.04.2021 (सोमवार) को

C. सामान्य निर्देश :-

- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा-18(2) के प्रावधानों के अनुसार उस व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है, जिसने अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा जो संबंधित वार्ड का सामान्य तौर पर निवासी हो। सामान्य तौर पर निवासी के संबंध में स्पष्टीकरण अधिनियम की धारा-18(2) में दिये हुये हैं। निर्वाचक नामावलियों को दिनांक 01.01.2021 की अर्हता तिथि के आधार पर तैयार किया जाना है। अतः जिस व्यक्ति की आयु दिनांक 01.01.2021 को 18 वर्ष पूर्ण नहीं हुई हो, वह व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने का पात्र नहीं होगा।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 18(5) के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति का नाम पंचायती राज संस्थाओं में किसी एक से अधिक वार्ड की निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं किया जा सकता है तथा धारा 18(6) के अनुसार किसी व्यक्ति का नाम वार्ड की निर्वाचक नामावली में एक से अधिक बार सम्मिलित नहीं हो सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम निर्वाचक नामावलियों में सम्मिलित नहीं किया जाए, जो भारतीय नागरिक नहीं है।
- किन्नर (Transgender) एवं लिंग रूपान्तरक (Sex Changer) मतदाता अपने आप को स्त्री अथवा पुरुष के रूप में प्रकट नहीं करना चाहें तो वे अपना लिंग 'तृतीय लिंग' के रूप में वर्णित कर सकते हैं। उक्त प्रकार के मतदाताओं द्वारा चाहे जाने पर उनके लिंग के कॉलम में 'तृतीय लिंग' अंकित किया जाए।
- चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः एक मतदान भवन में एक से अधिक मतदान केन्द्र स्थापित करते समय कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए यह ध्यान रखा जाए कि मतदान केन्द्र हेतु चयन किए गए कक्षों के मध्य पर्याप्त दूरी हो। यदि किन्हीं कारणों से ऐसा संभव नहीं हो तो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध अन्य किसी भवन में मतदान बूथ की स्थापना की जाए ताकि मतदान के समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सके।
- राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 12 के अनुसार ग्राम पंचायत के रिक्त वार्डों एवं पंचायत समिति के रिक्त निर्वाचन क्षेत्रों की मुद्रित सूचियों से मतदाता सूचियों का प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन अलग-अलग किया जायेगा। ग्राम पंचायतों के वार्डों की मतदाता सूची का प्रकाशन, पंचायत कार्यालय तथा संबंधित वार्ड में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा। पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रकाशन, पंचायत समिति कार्यालय तथा संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में 2 सहज दृश्य स्थानों पर किया जायेगा।
- निर्वाचन नियमों के अन्तर्गत यह भी प्रावधान है कि मतदाता सूची निःशुल्क निरीक्षणार्थ ग्राम पंचायत, पंचायत समिति कार्यालय में भी उपलब्ध कराई जावे। अतः दावे/आपत्ति प्रस्तुत करने की अवधि पर्यन्त मतदाता सूची निरीक्षणार्थ उक्त कार्यालयों में रखी जावे।

20.9.21

7. मतदान केन्द्रों पर दावे व आपत्तियों प्रस्तुत करने के लिए विशेष अभियान तिथियों को पदाभिहित अधिकारी पूरे दिवस को प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर दावे आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करेंगे। शेष दिनों में आधा दिवस मध्याह्न पश्चात् 2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक उपस्थित रहेंगे। चूंकि कोविड-19 अभी समाप्त नहीं हुआ है, अतः उपस्थित पदाभिहित अधिकारियों द्वारा मास्क एवं सैनेटाईजर का आवश्यक रूप से उपयोग किया जाएगा। दावे एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा भी मतदान केन्द्र परिसर में मास्क लगाकर ही प्रवेश किया जा सकेगा। दावे एवं आपत्तियों के आवेदन प्राप्त करते समय सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी सुनिश्चित की जाए।
8. दावों व आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम-14 में बतायी गयी है। इसके अलावा नियम-15 व नियम-16 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी को स्वविवेक से कार्य करने की प्रक्रिया भी बतायी गयी है। साथ ही किसी मतदाता के संबंध में आपको सूचना प्राप्त होती है कि, उसकी मृत्यु हो गई है अथवा उसके द्वारा उस वार्ड में अपना निवास स्थान छोड़ दिया गया है तो उक्त मतदाता का नाम, संदर्भित नियमों का पालन करते हुए, विलोपन सूची में अंकित कर दिया जाएगा। इस हेतु प्रगणकों को भी निर्देश प्रदान किए जाएं कि वे भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसे मतदाताओं की पहचान भी कर लें।
9. दावों व आपत्तियों के निस्तारण एवं स्वविवेक से नाम जोड़े या हटाये जाने संबंधी प्रकरणों को निर्णित करने के पश्चात् ई-सूची पर प्रविष्टियों की फीडिंग कर वार्डवार फोटोयुक्त पूरक सूची तैयार की जायेगी। अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का लेजर प्रिंट (Hardcopy) लेकर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा नियम-17 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।
10. नाम जोड़ने, हटाने एवं संशोधित किए जाने हेतु दावे व आपत्तियां ऑनलाईन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए आयोग का परामर्श है कि मतदाताओं को दावे व आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अधिक से अधिक ऑनलाईन माध्यम का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। आवेदकों द्वारा भरे गए ऑनलाईन दावे व आपत्तियां प्राप्त करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया ई-सूची ऑपरेशन मैनुअल में बिन्दुवार अंकित की गई है। उक्त ऑपरेशन मैनुअल ई-सूची पर डाउनलोड सैक्शन में भी उपलब्ध है।
11. राजस्थान पंचायतीराज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 17(3) के क्रम में राज्य में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां उपलब्ध कराने के संबंध में आयोग के आदेश क्रमांक 5433/27.11.2019 (सांविधिक आदेश 128/2019) के द्वारा निर्देश प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचक नामावलियों के प्रारूप प्रकाशन एवं अंतिम प्रकाशन के समय तैयार की जाने वाली प्रतियों के संबंध में आयोग द्वारा पत्रांक 5520 दिनांक 28.11.2019 जारी किया हुआ है। उक्त पत्र पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देशों का संकलन, 2020 पुस्तिका में पृष्ठ संख्या क्रमशः 44 एवं 49-50 पर उपलब्ध है।

पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त वार्ड / निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावली तैयार करने की उक्त प्रक्रिया में यदि किसी तरह की कोई कठिनाई महसूस होती है तो उसके निराकरण के लिए आयोग कार्यालय एवं SLA के निम्नलिखित कार्मिकों/प्रतिनिधियों से सम्पर्क किया जा सकता है:-

क्र. सं.	नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर	विशेष विवरण
1.	श्री अशोक कुमार जैन, उप सचिव, SEC	9414046720, 9829413131	निर्वाचक नामावली तैयार करने के लिए
2.	श्री संजय खण्डेलवाल, वरिष्ठ सहायक, SEC	9636121562, 8005926047	
3.	श्रीमती अनिता भोला, प्रोग्रामर, SEC	7976326853, 9460727078	विधानसभा डेटाबेस के विभाजन एवं सॉफ्टवेयर संचालन संबंधी प्रक्रिया के लिए
4.	श्री दीपचन्द कुमावत, सहायक प्रोग्रामर, SEC	9785624004	
5.	श्री सुरेन्द्र सिंह, SLA प्रतिनिधि	7339839007	
6.	श्री हिमांशु चौधरी, SLA प्रतिनिधि	7014758543	

20/11

दिनांक 31.01.2021 के पश्चात् आदिनांक तक यदि अन्य कोई रिक्ति उत्पन्न हो गई हो या किसी रिक्ति की सूचना प्रेषित होने से रह गई हो तो, ऐसी रिक्तियों को सूची में सम्मिलित कर उनके लिए भी मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य करा लिया जाए एवं ऐसी रिक्तियों की सूचना से आयोग को अवगत कराया जाए।

विशेष नोट :- चूंकि कोविड-19 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अतः संक्रमण की रोकथाम के लिए यद्यपि उक्त निर्देशों में सावधानी रखने हेतु यथा स्थान निर्देश अंकित किए गए हैं, फिर भी निम्नलिखित निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से की जाए:-

1. निर्वाचक नामावली तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नियोजित कार्मिकों द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान पूर्ण समय मास्क एवं समय-समय पर सैनेटाईजर का उपयोग किया जाएगा।
2. मतदाता सूची से संबंधित कार्य के लिए आने वाले व्यक्तियों एवं कार्मिक द्वारा प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु कम से कम छः फीट की दूरी रखी जाएगी।
4. मतदाता सूची की तैयारी हेतु नियोजित यदि किसी कार्मिक द्वारा कोरोना वायरस के लक्षण संबंधी बीमारी (बुखार, खांसी, जुकाम, श्वास लेने में परेशानी आदि) के बारे में सूचित किया जाए तो उसे तुरन्त प्रभाव से उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाए।
3. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाईडलाईनों की पूर्ण रूपेण पालना की जाए।

आज्ञा से,



(चित्रा गुप्ता)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी

एवं सचिव

दिनांक: 23.2.2021

क्रमांक:एफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 1352-60

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. निजी सहायक, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
4. उप सचिव/सहायक सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राज., जयपुर।
5. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
6. समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी,।
7. प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. प्रबंधक, REIL जयपुर।
9. अध्यक्ष/सचिव, समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल, राजस्थान, जयपुर।



(अशोक कुमार जैन)

उप सचिव

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान
पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव हेतु रिक्तियों का विवरण

क्र.सं	जिला	पंचायत समिति सदस्य		सरपंच		वार्ड पंचों की संख्या
		प.स. का नाम	नि. क्षे. सं.	प.स. का नाम	ग्रा.प. का नाम	
1	2	3	4	5	6	7
1	अजमेर			अजमेर ग्रामीण	ऊटड़ा	30
2	बांसवाड़ा					12
3	बाड़मेर	चौहटन	23	धनाऊ	पूजासर	40
				गढ़ामालानी	मौखावाखुर्द	
				धौरीमन्ना	सुदाबेरी	
				पाटोदी	कालेवा	
					मुकनपुरां	
				कल्याणपुर	घडौई चारणान	
				समदड़ी	कम्मो का वाडा	
4	भीलवाड़ा			बनेड़ा	बबराणा	14
5	बीकानेर			नोखा	बेरासर	24
				पूगल	रामड़ा	
6	बून्दी	बून्दी	14			15
7	चित्तौड़गढ़			बड़ीसादड़ी	कचूमरा	25
				बेगूं	राजगढ़	
8	चुरू	तारानगर	3	राजगढ़	सेऊवा	31
9	डूंगरपुर			सागवाड़ा	विराट	7
10	हनुमानगढ़					22
11	जैसलमेर			जैसलमेर	भागू का गांव	8
12	जालौर					22
13	झालावाड़			बकानी	झिझनिया	24
14	झुन्झुनूं					21
15	नागौर			नागौर	बासनी	71
16	पाली					52
17	प्रतापगढ़					4
18	राजसमन्द	आमेट	12			12
19	सीकर			अजीतगढ़	लादी का बास	37
				पाटन	बिहारीपुर	
20	टोंक			निवाई	जामडोली	13
				देवली	घाड	
21	उदयपुर			खेरवाडा	बडला	21
					बंजारिया	
				ऋषभदेव	थाणा	
	योग		4		25	505

३०.१५